छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–01/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 5/06/2024

प्रति,

ए.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग अलीगंज रोड़
नई दिल्ली – 110003।

विषयः– Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s Prakash Industries Pvt. Ltd. for non-forestry use of 515.581 ha (201.806 ha for Underground mining) of forest land for Coal mining in Bhaskarpara Coal block under Surajpur District in the State of Chhattisgarh (Online Proposal No. FP/CG/MIN/149564/2021)– regarding.

संदर्भः–1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-09/2023-FC, दिनांक 28.05.2024।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–306/1296, दिनांक 30.05.2024।

******

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 28.05.2024 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

2/– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2, दिनांक 30.05.2024 के माध्यम से उक्त वांछित जानकारी प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

KL 05/06/24

(के.एल.मांझी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5–01/2023/10–2 नवा रायपुर,अटल नगर, दिनांक 5/06/2024

प्रतिलिपि :–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2.मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर छत्तीसगढ़।
3.वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
4.निदेशक, मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रिज लि. सीपत रोड़, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

KL 05/06/24

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर– 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–306/1296 रायपुर, दिनांक 30/05/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
छत्तीसगढ़

विषय:– **Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of M/s Prakash Industries Pvt. Ltd. for non-forestry use of 515.581 ha. (201.806 ha. for Underground Mining) of forest land for Coal mining in Bhaskarpara Coal block under Surajpur District of Chhattisgarh State (Online Proposal - FP/CG/MIN/149564/2021)**

संदर्भ: भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र दिनांक 28-05-2024

––000––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 28.05.2024 द्वारा प्रस्ताव में वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल के भाग–II में उल्लेख किया गया है कि वन क्षेत्र का घनत्व 0.4 (MDF) और ईको क्लास – III है जबकि NPV ईको क्लास– IV से लिया गया है, तथा सभी क्षतिपूर्ति की राशि नियम/निर्देशों/शर्तो के अनुसार लगाए गये है, के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में लेख है कि प्रस्ताव में वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल द्वारा भाग–II में कार्य आयोजना के कक्ष इतिहास के आधार पर संरक्षित एवं नारंगी वन क्षेत्र का वनस्पति घनत्व 0.4 (MDF) दर्शाया गया है। राजस्व वन क्षेत्र जिसका रकबा 242.612 हेक्टेयर है, का घनत्व पृथक से नहीं दर्शाया गया है। वास्तविक रूप से राजस्व वन जिसका घनत्व लगभग शून्य है, क्षेत्र खुला वन है, जो .kml से भी स्पष्ट है, जिसके फलस्वरूप राजस्व वन क्षेत्र की प्रत्याशा मूल्य (NPV) ईको क्लास– IV के मान से राशि आवेदक से कैम्पा खाता में जमा करायी गयी है। शेष संरक्षित एवं नारंगी वन भूमि रकबा 71.163 हे. क्षेत्र का प्रत्याशा मूल्य ईको क्लास– III से जमा कराया गया है जिसकी पुष्टि वन मंडलाधिकारी द्वारा तैयार किये गये गणना पत्रक तथा आवेदित क्षेत्र के DSS से भी सत्यापन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की राशि आवेदक संस्थान से नियमानुसार शर्तो के अनुसार कैम्पा खाता में जमा कराई गई है तथा अंतर की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान से वचन पत्र लिया गया है जो पालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न प्रेषित किया गया है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध/वन (सं एवं सं)
छत्तीसगढ़

31 MAY 2024

188- Letter Minig 2024